

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

क्रमांक नम्बर 296/18 तारीख रज. 19.2.18 रिपोर्ट पटवारी हल्का ~~कमालपुर~~ बनाम
 श्री रामभजन पुत्र मेघशंभु जाति मीना निवासी ~~कमालपुर~~ तहसील
 महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 22.2.18

आज यह पत्रावली बमुकाम ~~महवा~~ हमारे संमक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि
 उक्त श्री ~~रामभजन~~ ने ग्राम ~~कलीन~~ को भूमि ख.न. ~~331~~ रकबा ~~0.10~~
 किस्म ~~काशगाह~~ फसल रबि / खरीफ संवत् 2074 में ~~जेडू~~ कर अतिक्रमण किया
 है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बांद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित
 आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में
 उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट
 पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. ~~331~~ रकबा ~~0.10~~
 किस्म ~~काशगाह~~ वाके ग्राम ~~कलीन~~ से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित
 भूमि के वार्षिक लगान का ~~4440.00~~ गुणा ~~220~~ शस्ति से दण्डित किया जाता है।
 तथा इस पर खड़ी फसल ~~जेडू~~ को नीलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
 भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / नीलाम करने तथा
 भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश
 जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे।
 पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

~~न्यायालय~~
 तहसील-महवा (दौसा)
 तहसीलदार महवा

रजिस्टर गांधी को पेज नं० 27 पर
 वर्ष 2017-18
 की राशि
 की जमा
 दिनांक 5/3/18
 22007.50
 Kshay
 राजस्व लेखाकार
 तहसील-महवा